

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

दना नम्बर-107/2019 प्रार्थना पत्र

श्रीमती रामचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थीया

बनाम

श्री अब्दुल रज्जाक पिता हाजी हुसैन मुसलमान, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील भीलवाड़ा

श्री मैरू मुतबन्ना रामचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्रीमति सीना पत्नि मैरू जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-6.5.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दांथल हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2320/2187 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 2321/2187 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा भूमि प्रार्थीया के दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे कस्त की जायत के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.4.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 को कितनी ही मर्तवा विधिवत् दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा ही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल कस्त करते समय, फसल समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2320/2187 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 2321/2187 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

ता 2 रकबा 9 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता
पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 900/-रूपये (नौ सौ रूपये)
कम्प्लेक्स फीस पर कम्प्लेक्स नियुक्त किया जाता है। कम्प्लेक्स फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावे। कम्प्लेक्स
स जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी किये जाने के
ये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

(टीना डबी)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

